राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 1046/2022

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6207/2020

1. मधु सैनी पुत्री बी.एस. सैनी, उम्र 33 वर्ष, निवासी 6-जी10 महावीर नगर एक्सटेंशन, कोटा।
2. कावड़ ईश्वर पुत्र जशू भाई, उम्र 29 वर्ष, निवासी ए-25 गणेश नगर सोसायटी, अमरोली, सूरत गुजरात।
3. विनोद कुमार पाल पुत्र राज नारायण पाल, उम्र 33 वर्ष, निवासी एम-19 प्लॉट नंबर 304, ग्लोबल सिटी, पालघर, महाराष्ट्र।
4. ऋचा त्रिपाठी पुत्री रेजेश्वर त्रिपाठी, उम्र 43 वर्ष, निवासी 365, सिविल लाइंस, नारायण नगर, एटा, उत्तर प्रदेश।
5. टाक अमृत कौर पुत्र मंजीत सिंह टाक, उम्र 29 वर्ष, निवासी 4, महेश नरेश को-ऑपरेटिव सोसायटी, घोड़ासर, अहमदाबाद, गुजरात।
6. राहुल वैद पुत्र सुरिंदर कुमार वैद, उम्र 43 वर्ष, निवासी बी-61ए, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
7. उमंग कंवर पुत्री कुलदीप सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी 72, सेक्टर नंबर 1, त्रिकोला नगर, जेएंडके।
8. चौधरी हुमातलत पुत्री मुनीर अज़हर, उम्र 30 वर्ष, निवासी ओल्ड टिडके के पास, नागपुर।
9. राहुल मेहता पुत्र अमरीक सिंह मेहता, उम्र 24 वर्ष, निवासी डुप्लेक्स बंगला, भोपाल मध्यप्रदेश
10. राज कमल ग्रेवाल पुत्र रणधीर सिंह ग्रेवाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी 260/11 शास्त्री नगर, अंबाला शहर, हरियाणा।

11. जी.देसाई सिधी रमेश पुत्री रमेश गौंस डेसाई, उम्र 36 वर्ष, निवासी-फ्लैट-फो/1, ए बिल्डिंग, कुरतारकर महामहिम, गोगल मार्गो, गोवा।

12. रजत कुमार पुत्र चंद्रभान, उम्र 43 वर्ष, निवासी 1/101 अशोक विहार, फेज-I, दिल्ली।

13. कुणाल वुथू पुत्र आर.के. वुथू, निवासी 675/ए, सेक्टर-3, भगवती नगर, कैनाल रोड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर।

14. चौहान भूमित कुमार पुत्र ईश्वर लाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी जलाराम सोसायटी, तालुका गणदेवी, नवसारी, गुजरात।

15. विशाल वुथू पुत्र आर.के. वुथू, उम्र 39 वर्ष, निवासी 675/ए, सेक्टर-3, भगवती नगर, कैनाल रोड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर।

16. ललित चोपड़ा पुत्र शांति स्वरूप चोपड़ा, उम्र 30 वर्ष, हाउसिंग कॉलोनी, नई आबादी, गली नंबर 1, भिंड, मध्यप्रदेश

----**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर-18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर।

2. दासवानी डेंटल कॉलेज, कोटा, अपने प्रिंसिपल आईटीबी- 19, रीको औद्योगिक क्षेत्र, राणपुर, कोटा के माध्यम से।

3. डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, अपने सचिव के माध्यम से, अवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002।

4. पी.जी. मेडिकल/डेंटल एडमिशन बोर्ड 2017, इसके अध्यक्ष, एडमिशन बोर्ड और प्रिंसिपल और नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के माध्यम से।

----**अपीलार्थी**

<u>से संबद्ध</u>

खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 1047/2022

में

1. मधु सैनी पुत्री बी.एस. सैनी, उम्र 35 वर्ष, निवासी 6-जी10 महावीर नगर एक्सटेंशन, कोटा।

2. कावड़ ईश्वर पुत्र जशु भाई, उम्र 29 वर्ष, निवासी ए-25 गणेश नगर सोसायटी अमरोली, सूरत, गुजरात।

3. विनोद कुमार पाल पुत्र राज नारायण पाल, उम्र 33 वर्ष, निवासी एम-19 प्लॉट नंबर 304, ग्लोबल सिटी, पालघर, महाराष्ट्र।

4. ऋचा त्रिपाठी पुत्री रेजेश्वर त्रिपाठी, उम्र 43 वर्ष, निवासी 365, सिविल लाइन्स, नारायण नगर, एटा, उत्तर प्रदेश।

5. टाक अमृत कौर पुत्र मनजीत सिंह टाक, उम्र 29 वर्ष, निवासी 4, महेश नरेश सहकारी समिति, घोड़ासर, अहमदाबाद, गुजरात।

6. राहुल वैद पुत्र सुरिंदर कुमार वैद, उम्र 43 वर्ष, निवासी बी-61ए, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

7. उमंग कंवर पुत्री कुलदीप सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी 72, सेक्टर नंबर 1, त्रिकोला नगर, जेएंडके।

8. चौधरी हुमातलत पुत्री मुनीर अज़हर, उम्र 30 वर्ष, निवासी ओल्ड टिडके के पास, नागपुर।

9. राहुल मेहता पुत्र अमरीक सिंह मेहता, उम्र 24 वर्ष, निवासी डुप्लेक्स बंगलो, भोपाल मध्यप्रदेश

10. राज कमल ग्रेवाल पुत्र रणधीर सिंह ग्रेवाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी 260/11, शास्त्री नगर, अंबाला शहर, हरियाणा।

11. जी.देसाई सिधी रमेश पुत्री रमेश गौंस डेसाई, उम्र 36 वर्ष, निवासी फ्लैट-फो/1, ए बिल्डिंग, कुर्ताकर एक्सेलेंसी, गोगल मार्गो, गोवा।

12. रजत कुमार पुत्र चंद्रभान, उम्र 43 वर्ष, निवासी 1/101 अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली।

13. कुणाल वुथू पुत्र आर.के. वुथू, निवासी 675/ए, सेक्टर-3, भगवती नगर, कैनाल रोड, जम्मू और कश्मीर।

14. चौहान भूमित कुमार पुत्र ईश्वर लाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी जलाराम सोसायटी, तालुका गणदेवी, नवसारी, गुजरात।

15. विशाल वुथू पुत्र आर.के. वुथू, उम्र 39 वर्ष, निवासी 675/ए, सेक्टर-3, भगवती नगर, कैनाल रोड, जम्मू और कश्मीर।

16. ललित चोपड़ा पुत्र शांति स्वरूप चोपड़ा, उम्र 30 वर्ष, हाउसिंग कॉलोनी, नई आबादी, गली नंबर 1, भिंड, म.प्र.

---- अपीलार्थी

बनाम

1. डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, अपने सचिव के माध्यम से, एवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002।

2. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, एनईईटी एमडीएस 2017, मेडिकेयर एन्क्लेव, अंसारी नगर रिंग रोड, नई दिल्ली-110029 अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर-18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर।

4. दासवानी डेंटल कॉलेज, कोटा, अपने प्रिंसिपल आईटीबी- 19, रीको औद्योगिक क्षेत्र, राणपुर, कोटा के माध्यम से।

5. पी.जी. मेडिकल/डेंटल एडमिशन बोर्ड 2017, इसके अध्यक्ष, एडमिशन बोर्ड और प्रिंसिपल और नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री के.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यश शर्मा, श्री आशीष शर्मा, श्री दक्ष गौतम और श्री अमन लोढ़ा द्वारा सहायता प्रदान की गई

प्रत्यार्थी (गण) की ओर से : श्री वीरेंद्र लोढ़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री

रौनक सिंघवी, श्री रचित शर्मा की सहायता

की डॉ. वी.बी. की ओर से श्री हर्षल ठोलिया।

शर्मा, एएजी सुश्री मनोरमा शर्मा, श्री अरविन्द

शर्मा एवं श्री अंगद मिर्धा

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान पंकज मिथल जोधपुर में वीसी के माध्यम से
माननीय श्रीमान जस्टिस अनूप कुमार ढंड

निर्णय

रिपोर्टेबल

सुरक्षित करने की तारीख	::	नवंबर 07, 2022
निर्णय उच्चारित करने की तारीख	::	नवंबर 25, 2022

न्यायालय द्वारा:

प्रति अनूप कुमार ढंड, न्यायमूर्ति)

1. इन विशेष अपीलों में शामिल मुद्दा यह है कि **मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश सरकार और अन्य (2016) 7 एससीसी 353 और मध्य प्रदेश सरकार बनाम जयनारायण चौकसे और अन्य (2016) 9 एससीसी 412,** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विपरीत 'क्या अपीलार्थियों को केंद्रीकृत एनईईटी पीजी में अपीलार्थियों की भागीदारी के बिना डेंटल कॉलेज द्वारा मास्टर इन डेंटल सर्जरी (संक्षिप्त 'एमडीएस कोर्स' के लिए) में प्रवेश दिया जा सकता है?'

2. ये दोनों अपीलें विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 03.08.2022 के आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाएँ खारिज कर दी गई हैं और प्रत्यर्थी-दासवानी डेंटल कॉलेज (संक्षेप में) 'प्रत्यर्थी-कॉलेज) को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक अपीलार्थी को 10,00,000/- रुपये मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया है और प्रत्यर्थी-राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (संक्षेप में 'विश्वविद्यालय') के कुलपति को उन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने अपीलार्थियों

को एमडीएस पाठ्यक्रम, 2017 में प्रवेश दिया है जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन है।

3. दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (संक्षेप में '1948 का अधिनियम') की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (संक्षेप में 'डीसीआई') ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों के चयन और प्रवेश के लिए दिनांक 31.05.2012 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 (संक्षेप में 'विनियम, 2007') को अधिनियमित किया। इस विनियम के खंड 3 (1) के अनुसार, एकल पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा होगी; प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों (संक्षेप में 'एनईईटी पीजी') में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा।

4. विनियमन, 2007 के अनुसरण में, एमडीएस पाठ्यक्रम में उम्मीदवारों के चयन और प्रवेश के लिए एनईईटी पीजी परीक्षा-2017 आयोजित की गई थी। अपीलार्थी संख्या 2, 5, 7, 12 से 15 उक्त एनईईटी पीजी परीक्षा में उपस्थित हुए और केवल अपीलार्थी संख्या 5 और 15 ही उत्तीर्ण हुए, लेकिन केंद्रीकृत काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और बाकी उत्तीर्ण नहीं हुए। अपीलार्थी-याचिकाकर्ता संख्या 1, 3, 4, 6, 8 से 11 और 16 उक्त परीक्षा में भी उपस्थित नहीं हुए, फिर भी सभी अपीलार्थियों को अंतिम तिथि अर्थात 31.05.2017 के बाद विनियम, 2007 का उल्लंघन करते हुए प्रत्यर्थी-कॉलेज में एमडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया।

5. दिनांक 17.05.2017 के पत्र के माध्यम से, डीसीआई ने सभी डेंटल कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए एमडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों का विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया। उक्त पत्र के अनुसरण में, प्रत्यर्थी-कॉलेज ने एमडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित 20 उम्मीदवारों का विवरण अपलोड किया। एनईईटी पीजी (मेडिकल/डेंटल) प्रवेश बोर्ड, 2017 के अध्यक्ष से सत्यापन पर, यह पाया गया कि किसी भी अपीलार्थी को एनईईटी पीजी बोर्ड द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया था। इसके बाद, डीसीआई की कार्यकारी समिति ने 23.08.2018 को अपनी बैठक में सभी अपीलार्थियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया क्योंकि परामर्श प्राधिकारी ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए दासवानी डेंटल कॉलेज में एमडीएस पाठ्यक्रम में इन अपीलार्थियों के प्रवेश की सत्यापित/पुष्टि नहीं की

थी। उक्त निर्णय डीसीआई द्वारा प्रत्यर्थी-कॉलेज को दिनांक 12.09.2018 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसके बाद उसके अनुस्मारक पत्र दिनांक 31.10.2018 और 08.02.2019 के द्वारा सूचित किया गया था।

6. दिनांक 12.09.2018, 31.10.2018 और 08.02.2019 के इन पत्रों की प्राप्ति के बावजूद, प्रत्यर्थी-कॉलेज ने अपीलार्थियों को बर्खास्त नहीं किया और कॉलेज ने उसे सर्वोत्तम ज्ञात कारणों से उनके प्रवेश रद्द नहीं किए।

7. इस समय, अपीलार्थियों ने एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6207/2020 विद्वान एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के विरूद्ध निर्देश देने की मांग की गई ताकि उन्हें ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने और जून 2020 में होने वाली एमडीएस अंतिम वर्ष (मुख्य) परीक्षा में तथ्यों का पूरा खुलासा किए बिना भाग लेने की अनुमति दी जा सके, विद्वान एकलपीठ ने दिनांक 15.06.2020 के अंतरिम आदेश के माध्यम से अपीलार्थियों को एमडीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा में भाग लेने के लिए अनंतिम रूप से परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी। उक्त आदेश दिनांक 15.06.2020 के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 394/2020 इस न्यायालय के समक्ष था और इसे दिनांक 24.06.2020 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया था कि अपीलार्थियों का परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा विद्वान एकलपीठ के निर्देश के बिना घोषित नहीं किया जाएगा और उनकी परीक्षा के रिट याचिका निर्णय के अधीन होगी।

8. इसके बाद, अपीलार्थियों ने एक और एकलपीठ रिट याचिका संख्या 6233/2021 प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 01.09.2017 और 05.11.2017 की अधिसूचनाओं का भविष्यलक्षी के रूप से लागू करने की मांग की गई। अपीलार्थियों ने प्रार्थना की कि एमडीएस पाठ्यक्रम, 2017 में उनका प्रवेश एनईईटी पीजी के माध्यम से लेने की आवश्यकता के बिना वैध था। उन्होंने डीसीआई के दिनांक 12.09.2018 और 08.02.2019 के आदेशों/पत्रों को इस घोषणा के साथ रद्द करने की भी प्रार्थना की कि उन्हें प्रत्यर्थी-कॉलेज, कोटा में वैध रूप से प्रवेश दिया गया था और वे एमडीएस पाठ्यक्रम से बर्खास्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। दलीलें सुनने के बाद, विद्वान एकलपीठ ने दिनांक 03.08.2022 के निर्णय द्वारा इन दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया।

9. दिनांक 03.08.2022 के आक्षेपित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष ये दो विशेष अपीलें प्रस्तुत की हैं।

10. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थियों को मई, 2017 में प्रत्यर्थी-कॉलेज में एमडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला, जबकि एनईईटी पीजी आवश्यकता के लिए अधिसूचना नवंबर, 2017 में जारी की गई थी। अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थियों के पास बीडीएस पाठ्यक्रम की वैध डिग्री थी और वे एमडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की पात्रता रखते थे। अधिवक्ता का कहना है कि 50 प्रतिशत की निर्धारित कटऑफ के कारण एमडीएस कोर्स की कई सीटें खाली रह गईं, इसलिए पीजी मेडिकल/डेंटल एडमिशन बोर्ड, 2017 द्वारा उन उम्मीदवारों को मॉप अप काउंसलिंग राउंड में अनुमति देने का निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार एनईईटी पीजी मेडिकल और डेंटल एडमिशन और काउंसलिंग बोर्ड, 2017 के साथ पंजीकृत नहीं थे। अधिवक्ता का कहना है कि एनईईटी पीजी के माध्यम से केवल चार छात्रों को प्रवेश मिला और बाकी सीटें खाली रह गईं। इसलिए, अपीलार्थियों को प्रत्यर्थी-कॉलेज में प्रवेश मिल गया। अधिवक्ता का कहना है कि वर्ष 2014, 2015 और 2016 के बैचों के लिए, निजी डेंटल कॉलेजों द्वारा बिना किसी परीक्षा और परामर्श के छात्रों को सीधे प्रवेश दिया गया था।

11. अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थियों ने अपना एमडीएस पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और इस स्तर पर उनका प्रवेश रद्द करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और किसी अन्य छात्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:-

1. **अशोक चंद सिंघवी बनाम जोधपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य, एआईआर 1989 एससी 823**

2. **ए. सुधा बनाम मैसूर विश्वविद्यालय एवं अन्य, एआईआर 1987 एससी 2305**

3. **राजेंद्र प्रसाद माथुर बनाम कर्नाटक विश्वविद्यालय एवं अन्य, एआईआर 1986 एससी 1448**

4. **प्रिया गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ सरकार एवं अन्य, एआईआर 2012 एससी 2413**

5. **सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2021**

एससीसी ऑनलाइन एससी 137

6. **राजन पुरोहित एवं अन्य बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, (2012) 10 एससीसी 770**

7. **भारत संघ बनाम फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस्ड आयुर्वेदिक कॉलेज, पंजाब एवं अन्य, (2020) 12 एससीसी 115**

8. **दीपा थॉमस एवं अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अन्य, (2012) 3 एससीसी 430**

9. **मोनिका रांका एवं अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, (2010) 10 एससीसी 233**

12. प्रत्यर्थी-कॉलेज के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मोप अप राउंड के बाद एमडीएस पाठ्यक्रम में अपीलार्थियों को खुले कोटा से प्रवेश देते समय प्रत्यर्थी-कॉलेज द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है। अधिवक्ता का कहना है कि नीट अधिसूचना, 2017 नवंबर 2017 में जारी की गई थी, जबकि प्रवेश पिछले प्रचलित मानदंडों के अनुसार मई 2017 में दिए गए थे।

13. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय, डीसीआई और पीजी मेडिकल/डेंटल प्रवेश बोर्ड के अधिवक्ता ने अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थी-कॉलेज के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी-कॉलेज द्वारा अपीलार्थियों को 2007 और 2017 के विनियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए प्रवेश दिए गए थे। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया एमडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (संक्षेप में 'एनईईटी') उत्तीर्ण करना और वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के बाद काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक था। तथापि, अपीलार्थियों को सीधे प्रत्यर्थी-कॉलेज में प्रवेश मिल गया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियों को प्रत्यर्थी-कॉलेज द्वारा पिछले दरवाजे से प्रवेश दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उनके प्रवेश प्रत्यर्थी-कॉलेज और अपीलार्थियों के बीच मिलीभगत का परिणाम हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी-कॉलेज और अपीलार्थी 2007 के विनियमों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, जो स्पष्ट रूप से केवल एनईईटी पीजी के माध्यम से प्रवेश प्रदान करता है, फिर भी, अपीलार्थियों को निजी परामर्श आयोजित करके प्रत्यर्थी-कॉलेज

द्वारा प्रवेश दिया गया था, जो कानून में इसकी अनुमति नहीं है और इस प्रकार, पिछले दरवाजे से प्रवेश करने वाले अपीलार्थी किसी भी न्यायसंगत राहत के पात्र नहीं हैं।

14. प्रत्यर्थी-यूनिवर्सिटी और डीसीआई के अधिवक्ता का कहना है कि 12.09.2018 को डीसीआई द्वारा अपीलार्थियों को बर्खास्त करने के आदेश के बावजूद, उस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रत्यर्थी-कॉलेज और अपीलार्थियों को दिनांक 31.10.2018 और 08.02.2019 के बार-बार पत्राचार के बावजूद जारी रखने की अनुमति दी गई। अधिवक्ता का कहना है कि स्वीकृत स्थिति यह है कि अपीलार्थियों ने केंद्रीकृत परामर्श नहीं लिया और वे पहले दिन से ही अच्छी तरह से जानते थे कि प्रत्यर्थी-कॉलेज में उनका प्रवेश अनियमित और अवैध था। इसके बावजूद, वे अपने जोखिम पर चलते रहे। इसलिए, वे अपने पक्ष में इक्विटी का दावा नहीं कर सकते। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने **अब्दुल अहद और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य ने 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 627 में** प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। उन्होंने **दीपांशु भदोरिया और अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अन्य (एलपीए संख्या 581/2019) का निर्णय 09.09.2021 को हुआ** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भी भरोसा किया है। **जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17.10.2022 को विशेष अनुमति अपील (सिविल) संख्या 20300/2021** में **राहुल सोनी और अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य** के नाम से बरकरार रख और **श्री वेंकटेश्वर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाम कर्नाटक सरकार एवं अन्य डब्लयूपी नंबर.12902/2022 दिनांक 07.09.2022** के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय भरोसा जताया है।

15. अधिवक्ता का कहना है कि खंडपीठ एसएडब्ल्यू नंबर 394/2020 में इस न्यायालय के विशिष्ट प्रतिबंध और निर्देशों के बावजूद, दिनांक 24.06.2020 के आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए अपीलार्थियों को एमडीएस पाठ्यक्रम की डिग्रियां वितरित की गईं। अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त विशेष अपील पर निर्णय लेते समय, अपीलार्थियों को एमडीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा में भाग लेने की अनंतिम अनुमति दी गई थी, लेकिन एक निर्देश जारी किया गया था कि अपीलार्थियों का परिणाम प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा विद्वान एकलपीठ के निर्देशों के बिना घोषित नहीं किया जाएगा, उनकी परीक्षाएं रिट

याचिका के निर्णय के अधीन होंगी। डीसीआई के अधिवक्ता ने यह कहा नोटिस/शुद्धि-पत्र जारी करने के बावजूद अपीलार्थियों ने अपनी डिग्री जमा नहीं की है। अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी अपनी डिग्री का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए उचित आदेश पारित किया जाए।

16. दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और विचार किया।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने **मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (सुप्रा.)** के मामले में दिनांक 02.05.2016 के अपने निर्णय में कहा है कि देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश नीट परीक्षा के आधार पर केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इसे पैरा संख्या 168 से 169 में निम्नानुसार देखा गया है:-

> "168. मध्य प्रदेश सरकार में निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विधायिका ने अपने विवेक से यह विचार किया है कि योग्यता आधारित प्रवेश केवल एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है, जिसके बाद केंद्रीकृत काउंसलिंग की जाएगी तो सरकार द्वारा या सरकार द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा की जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत मेडिकल पाठ्यक्रमों के इच्छुक आवेदकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, विधायिका ने पारदर्शी आधार पर योग्यता-आधारित प्रवेश सुरक्षित करने के लिए आम प्रवेश परीक्षा (सीईटी) की प्रणाली शुरू की। यदि निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना तैयार करने का निरंकुश अधिकार दिया जाता है, तो इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां यह उन छात्रों के "समानता के अधिकार" पर आघात होगा जो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने की इच्छा रखते हैं। सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा सभी मेधावी और उपयुक्त उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगी और मेधावी उम्मीदवारों को अध्ययन के पाठ्यक्रमों, सीटों की संख्या और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर विभिन्न संस्थानों में आवंटित किए जाने के लिए पहचाना जा सकता है। इससे दो उद्देश्य सुनिश्चित होंगे:
>
> (i) निष्पक्षता और पारदर्शिता, और
> (ii) कुप्रशासन को रोकने के अलावा योग्यता भी।
>
> इस प्रकार, योग्यता को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय के व्यापक हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, यह सरकार के लिए एक केंद्रीकृत और एकल-खिड़की प्रक्रिया प्रदान करके प्रवेश को विनियमित करने की

अनुमति होगी। केंद्रीकृत परामर्श या प्रवेश को विनियमित करने वाली एकल-खिड़की प्रणाली के बाद इस तरह के सीईटी आयोजित करने से संस्थान चलाने में संस्थानों के मौलिक अधिकारों पर कोई आंच नहीं आती है। जबकि निजी शैक्षणिक संस्थानों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का "कब्जे का अधिकार" है, वहीं उत्कृष्टता वाले पेशेवरों को सामने लाने के लिए मेधावी और उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने की भी उनकी जिम्मेदारी है। निजी शिक्षण संस्थानों के अधिकारों को समुदाय के व्यापक हित के सामने झुकना होगा।

169. सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करके और मेधावी उम्मीदवारों की पहचान करके, सरकार केवल निष्पक्ष सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार उम्मीदवारों की मेरिट सूची प्रदान कर रहा है। यदि स्क्रीनिंग टेस्ट मेरिट के आधार पर कराया जाए तो निजी शिक्षण संस्थानों को कोई नुकसान नहीं होगा। न तो संस्थानों के स्वीकृत प्रवेश में छात्रों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध है और न ही छात्रों से फीस लेने के उनके अधिकार पर। निजी शैक्षणिक संस्थानों की संस्था स्थापित करने और चलाने, शिक्षा प्रदान करने, कर्मचारियों की भर्ती करने, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने, छात्रों को प्रवेश देने, फीस निर्धारण में भाग लेने की स्वतंत्रता किसी भी तरह से आक्षेपित कानून द्वारा कम नहीं की जा रही है; यह बरकरार है।"

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, कुछ निजी कॉलेजों ने अपने संबंधित कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपनी स्वयं की काउंसलिंग आयोजित की थी। इसलिए, मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अवमानना याचिका प्रस्तुत की और **मध्य प्रदेश सरकार बनाम जयनारायण चौकसे और अन्य, (2016) 9 एससीसी 412** में इसका निर्णय लिया गया और इसकी पैरा संख्या 5 और 6 में पुष्टि की गयी थी, जो निम्नानुसार हैं:-

"5. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है। हम मानते हैं कि हमारे निर्णय का अधिदेश **[मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश सरकार, (2016) 7 एससीसी 353]** इसे एक समग्र प्रक्रिया बनाने के लिए केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के बाद सरकार द्वारा केंद्रीकृत सरकार परामर्श आयोजित करना था। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि सभी मेडिकल सीटों पर प्रवेश केवल सरकार सरकार द्वारा केंद्रीकृत काउंसलिंग द्वारा किया जाएगा और किसी अन्य द्वारा नहीं।

6. यदि किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा कोई काउंसलिंग की गई है और अब तक किसी भी मेडिकल सीट पर कोई प्रवेश दिया गया है, तो ऐसा प्रवेश तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्रवेश केवल सरकार सरकार द्वारा की गई केंद्रीकृत काउंसलिंग के अनुसार दिया जाएगा।

19. यह तथ्य विवादित नहीं है कि एनईईटी एमडीएस कोर्स, 2017 में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा आयोजित किया गया था और इस एनईईटी-एमडीएस

को उत्तीर्ण करना डेंटल पीजी कोर्स में प्रवेश पाने की पात्रता थी। सरकारी या निजी डेंटल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य मानदंड या परीक्षण निर्धारित नहीं किया गया था। सूचना पुस्तिका में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार नीट-एमडीएस में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को नीट में न्यूनतम 50 पर्सेन्टाइल प्राप्त करना आवश्यक था तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 40 पर्सेन्टाइल थे। जब उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, तो प्रतिशत को कम करने का निर्णय लिया गया और उम्मीदवारों को मॉप अप राउंड काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दिया गया। एडमिशन बोर्ड ने मॉप अप राउंड के बाद किसी भी डेंटल कॉलेज को अपने दम पर छात्रों को प्रवेश देने का कोई अवसर नहीं दिया।

20. निर्विवाद तथ्य यह है कि सितंबर, 2016 में, एनबीई ने एमडीएस पाठ्यक्रम, 2017 में प्रवेश के लिए एनईईटी के लिए एक सूचना पुस्तिका जारी की थी। यह सूचना पुस्तिका स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि प्रत्येक उम्मीदवार को न्यूनतम योग्यता स्कोर प्राप्त करना आवश्यक है, जैसा कि एनईईटी प्रवेश परीक्षा में प्रदान किया गया है।

21. एनईईटी-एमडीएस, 2017 विज्ञापन जारी किया गया था और एनईईटी पीजी प्रवेश/परामर्श बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सरकार डेंटल पोस्ट ग्रेजुएट सीटों के लिए सूचना पुस्तिका भी जारी की गई थी। अपीलार्थी संख्या 2, 7 और 12 से 14 उपरोक्त परीक्षाओं में उपस्थित हुए लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो सके। अपीलार्थी संख्या 5 और 15 परीक्षा में उपस्थित हुए और उत्तीर्ण भी हुए, लेकिन काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए। शेष अपीलार्थी उपरोक्त नीट परीक्षा में भी उपस्थित नहीं हुए।

22. ऊपर बताए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों ने केंद्रीकृत परामर्श नहीं लिया था और वे पहले दिन से ही अच्छी तरह से जानते थे कि प्रत्यर्थी-कॉलेज में उनका प्रवेश अनियमित और अवैध था- जो **मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दायरे में था। प्रत्यर्थी-कॉलेज द्वारा अपीलार्थियों को दिया गया प्रवेश प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचना के विपरीत था।

23. पीजी मेडिकल/डेंटल एडमिशन बोर्ड द्वारा आयोजित केंद्रीकृत काउंसलिंग के बाहर अपीलार्थियों को प्रवेश दिए गए थे। प्रत्यर्थी-कॉलेज, जो इसमें निहित नहीं था, द्वारा

अधिकार क्षेत्र को पार करके और उससे आगे बढ़कर अपीलार्थियों को प्रवेश दिए गए थे। जाहिर है, अपीलार्थियों को मिलीभगत से प्रवेश दिया गया था, क्योंकि वे **मॉडर्न डेंटल एंड रिसर्च कॉलेज (सुप्रा.**) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन थे।

24. हमें अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी-कॉलेज के अधिवक्ता के तर्कों में कोई बल नहीं मिला कि जब पर्याप्त संख्या में सीटें खाली रहती थीं, तो उन्हें प्रचलित अतीत की प्रथा के अनुसार भरना आवश्यक था क्योंकि अपीलार्थी न तो राज्य एनईईटी पीजी डेंटल एडमिशन/काउंसलिंग बोर्ड के साथ पंजीकृत थे और न ही उन्होंने एनईईटी परीक्षा उत्तीर्ण की, जो एमडीएस में प्रवेश पाने के लिए अनिवार्य थी।

25. इसी तरह का विवाद **अब्दुल अहद (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था और इसे पैरा संख्या 25 से 40 में निम्नानुसार देखते हुए निर्णय लिया गया था।

> "25. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि स्थानीय मेडिकल कॉलेज द्वारा निजी काउंसलिंग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के विपरीत आयोजित की गई थी, जो अधिसूचना, **मॉडर्न डेंटल कॉलेज और रिसर्च सेंटर (सुप्रा.),** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर आधारित थी जिसका निर्णय 2.5.2016 को लिया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि इस न्यायालय ने दिनांक 22.9.2016 के आदेश द्वारा स्थिति को और स्पष्ट कर दिया था।
>
> 26. यह नोट करना भी प्रासंगिक होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 15.9.2016 के निर्णय के माध्यम से दिनांक 22.8.2016 की अधिसूचना को चुनौती को खारिज कर दिया था।
>
> 27. इस स्थिति के आलोक में, ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के लिए निजी काउंसलिंग आयोजित करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। उक्त निजी काउंसलिंग के माध्यम से जो दाखिले लिए गए, उन्हें अवैध के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।
>
> 28. हालाँकि छात्रों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन हम उन दाखिलों की संरक्षा के लिए कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होंगे, जो स्पष्ट रूप से अवैध तरीके से किए गए थे।
>
> 29. **गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम परमिंदर कु.बंसल और अन्य**, (**1993) 4 एससीसी 401** में प्रकाशित मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा**:-**
>
> > "वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया विधिक स्थिति के सटीक मूल्यांकन के बजाय उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित था। ऐसे आदेशों

को टिके रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। न्यायालयों को उनके कार्यों को स्वयं अपने हाथ में लेकर अकादमिक अधिकारियों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए।"

30. **गुरदीप सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर सरकार और अन्य, 1995 सप्लिमेंट (1) एससीसी** 188 के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उचित होगा।

"12. विचारणीय बात यह है कि क्या प्रत्यर्थी 6 का चयन रद्द कर दिया जाना चाहिए। हमें डर है कि अधिकारियों की ओर से इस तरह की ज्यादतियों के संबंध में मानवीय विचार के आधार पर न्यायालयों के अनावश्यक उदार दृष्टिकोण ने यह धारणा बनाने का काम किया है कि जहां रणनीति और चालाकी से लाभ हासिल किया जाता है, वहां भी कानून की न्यायालयों में इसे तर्कसंगत बनाया जा सकता है। अदालतें मामलों पर मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखती हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। यही न्याय का सार है लेकिन न्यायिक नीति के विचार यह भी तय करते हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति जहां अवैध तरीकों से प्राप्त लाभ को बरकरार रखने की अनुमति दी जाती है, वह चयन प्रक्रिया की शुद्धता को ही खतरे में डाल देगी; न्यायिक प्रक्रिया के प्रति निंदनीय अनादर पैदा करना और अंतिम विश्लेषण में दोषी अधिकारियों और उम्मीदवारों को शालीनता और दण्ड से मुक्ति की भावना से प्रोत्साहित करना कि ऐसी गलतियों से प्राप्त लाभ को न्यायालय की सहानुभूति के लिए अपील द्वारा बरकरार रखा जा सकता है। ऐसे उदाहरण न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और विवेक को निजी परोपकार में कम कर देते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए हमारे सामने रखी गई सामग्री के अनुसार, खेल श्रेणी में प्रत्यर्थी 6 का चयन पूरी तरह से अनुचित था। वह खेल श्रेणी में पात्र नहीं थे। वह अपने अंकों के आधार पर सामान्य योग्यता श्रेणी में सीट का पात्र नहीं होगा। हमारी राय में, चयन प्रक्रिया समाप्त होने के लंबे समय बाद तक पात्रता का आरोप लगाना, शक्ति का दुरुपयोग है। जबकि हमें प्रत्यर्थी 6 की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति है, हमें इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि यह स्थिति उसके स्वयं के निर्माण का परिणाम है। हमारा मानना है कि शैक्षणिक प्रक्रियाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए, हमें प्रत्यर्थी 6 के चयन और प्रवेश को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि, हम अनिच्छा से ऐसा करते हैं।"

31. इसी तरह की टिप्पणियाँ इस न्यायालय द्वारा **के.एस. भोईर बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य, (2001) 10 एससीसी 264** में की गई हैं।

32. वर्तमान मामले में तथ्य कुछ हद तक उन तथ्यों के समान हैं, जो **महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और अन्य बनाम जीआईएस जोस और अन्य के मामले में विचाराधीन थे, (2008) 17 एससीसी 611** में रिपोर्ट किया गया था।

33. उक्त मामले में, एम.एससी. कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश दिए गए थे, प्रवेश नियमों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने ऐसे छात्रों का रोका गया रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की:-

> "10. नियमों के पूर्ण उल्लंघन में गलत सहानुभूति नहीं दिखायी जानी चाहिए थी। हमारी राय में, बिल्कुल यही हुआ है। **सीबीएसई बनाम शीना पीतांबरन [(2003) 7 एससीसी 719]** मामले में इस न्यायालय द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रम को अस्वीकार कर दिया गया था। निर्णय के पैरा 6 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 724)।
>
> > "6. इस न्यायालय ने पहले भी कई मौकों पर याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेशों के तहत छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की प्रथा की निंदा की है। ऐसे अधिकांश मामलों में, अंततः यह अनुरोध किया जाता है कि चूंकि पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका था या परिणाम घोषित हो चुका था, इसलिए मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप बहुत ही अजीब और कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। नियम सीधे तौर पर विधिक प्रावधानों के ख़िलाफ़ सहानुभूति और रियायतों की दलील पर प्रश्न-चिन्ह खड़ा कर रहे हैं।"

11. वर्तमान मामले में, जिस कॉलेज में छात्रा को दाखिला दिया गया था, उसने सभी संभावित नियमों का उल्लंघन करते हुए उसे न केवल पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी, बल्कि परीक्षा भी देने की अनुमति दी, जो पूरी तरह से अवैध था।"

34. **नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और अन्य बनाम वीनस पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी और अन्य (2013) 1 एससीसी 223** में प्रकाशित के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा:-

> "3. यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि जो संस्थान प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने में लगा हुआ है या इसमें शामिल होने में रुचि रखता है, उसे कानून के आदेश का अक्षरशः पालन करना होगा। कोई विचलन नहीं हो सकता लेकिन, दुर्भाग्य से, कुछ संस्थान अड़ियल दुस्साहस के साथ मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं और या तो छात्रों के

प्रति दया या सहानुभूति या संस्थान की वित्तीय अभाव के नाम पर या वैधानिक नियामक निकायों द्वारा उनके साथ अनुचित व्यवहार के नाम पर न्यायालय की कृपा चाहते हैं। इनमें से कोई भी आधार विचलन को उचित नहीं ठहराता। मौजूदा मामला स्पष्ट रूप से विचलन को दर्शाता है लेकिन उच्च न्यायालय ने संविधिक प्राधिकारी पर दोष मढ़ते हुए प्रत्यर्थी संस्था को राहत दी है जो अस्वीकार्य है।"

35. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निर्धारित विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में, पुनरीक्षा याचिकाकर्ताओं के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना संभव नहीं था। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि प्रवेश केवल केंद्रीकृत प्रक्रिया द्वारा किए जाने थे। ग्लोकल मेडिकल कॉलेज ने उक्त अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट काउंसलिंग कराई जो कानून में अनुमेय नहीं था। यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बारे में जानकारी नहीं थी।

36. ऐसे में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने वाले ऐसे छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। इसके अलावा, एमसीआई ने दिनांक 27.1.2017 के आदेश के तहत उक्त छात्रों को छुट्टी दे दी थी, जिन्हें केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश नहीं दिया गया था। यह ध्यान रखना उचित है कि एक ही कॉलेज में दाखिला लेने वाले 25 छात्र, जिन्हें केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया गया था, डीजीएमई द्वारा अन्य कॉलेजों में बहुत अधिक आमेलित कर लिए गए थे। ऐसे में, समीक्षा अपीलार्थियों का यह तर्क कि उन्हें एमसीआई द्वारा जारी 27.1.2017 के डिस्चार्ज आदेश के बारे में तभी पता चला जब उन्होंने 2019 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, यह तर्कसंगत नहीं है।

37. जहां तक इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.3.2017 को पारित अंतरिम आदेश के संबंध में विवाद का सवाल है, यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि हालांकि छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनके परिणाम प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश को संशोधित करने वाला कोई अन्य आदेश नहीं है।

38. यह समझना मुश्किल है कि प्रथम वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा के लिए छात्रों के परिणाम कैसे घोषित किए गए, उन्हें दूसरे वर्ष के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कैसे प्रवेश दिया गया और उन्होंने दूसरे वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की, इस तथ्य के बावजूद कि एमसीआई छात्रों को ने छुट्टी दे दी थी। दिनांक 27.1.2017 के आदेश द्वारा डिस्चार्ज कर दिया था।

39. जहां तक डिस्चार्ज आदेश को चुनौती देने वाली ग्लोकल मेडिकल कॉलेज द्वारा दायर रिट याचिका में दिनांक 18.9.2017 के आदेश में इस

न्यायालय की टिप्पणियों का सवाल है, तो इस टिप्पणी को इस न्यायालय द्वारा 20.3.2017 को जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों को रद्द या संशोधित नहीं माना जा सकता है।

40. परिणामस्वरूप, समीक्षा याचिकाएं निराधार हैं और इसलिए खारिज कर दी गईं। नतीजतन, हस्तक्षेप/पक्षकार बनाने के लिए आवेदन सहित सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।"

26. **दीपांशु भदोरिया (सुप्रा.**) के मामले में फिर से इसी तरह का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने आया और पैरा नंबर 9, 17, 24 और 25, 36 से 38 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया।:-

"9. प्रवेश की प्रक्रिया बंद होने के बाद, प्रत्यर्थी कॉलेज और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमसीआई को प्रस्तुत बयान से मिलान किया गया, और यह पाया गया कि यहां पांच अपीलार्थियों को डीएमई द्वारा आयोजित केंद्रीकृत परामर्श के बिना प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया था। नतीजतन, एमसीआई ने सबसे पहले 26.04.2017 को 5 अपीलार्थियों के संबंध में डिस्चार्ज पत्र जारी किए। इस पत्राचार के बाद 19.07.2017, 23.08.2017, 06.09.2017, 30.12.2017 13.02.2018, 25.08.2018 और 21.09.2018 को 7 पत्राचार जारी किए गए, न तो अपीलार्थियों और न ही प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज ने, जाहिर तौर पर, इन पत्रों पर कोई ध्यान दिया। प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज ने अपीलार्थियों को अपने छात्रों के रूप में मानना जारी रखा, और उन्हें पाठ्यक्रम में भाग लेने, परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी: और; पदोन्नति दी।

10.....

11.....

12.....

13.....

14.....

15.....

16.....

17. एमसीआई के विद्वान अधिवक्ता श्री सिंहदेव का कहना है कि एमसीआई द्वारा अपीलार्थियों को 26.04.2017 को ही बर्खास्त करने के बावजूद, उस पर कार्रवाई नहीं की गई-या तो प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज द्वारा, या अपीलार्थियों द्वारा, और वे बार-बार पत्राचार के बाद भी इसे अनदेखा करना जारी रखा है। उनका कहना है कि अपीलार्थियों को उनकी रिट याचिका में, या किसी अन्य कार्यवाही में कोई अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बावजूद, अपीलार्थियों ने बाद के वर्षों में प्रवेश लेना और प्रत्यर्थी कॉलेज में परीक्षा देना जारी रखा। उनका कहना है कि यह उनके द्वारा अपने जोखिम पर किया गया था, और वे अपने पक्ष में

इक्विटी का दावा नहीं कर सकते। उनका कहना है कि स्वीकृत स्थिति यह है कि अपीलार्थियों ने केंद्रीकृत काउंसिलिंग नहीं लिया था और वे पहले दिन से अच्छी तरह से जानते थे कि प्रत्यर्थी कॉलेज में उनका प्रवेश अनियमित और अवैध था-जो कि **मॉडर्न डेंटल कॉलेज (सुप्रा.)** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप था।

18.....

19.....

20.....

21.....

22.....

23.....

24. इसके अलावा, बाद में उच्चतम न्यायालय की तीन जजों की बेंच के निर्णय-जिस बेंच की अध्यक्षता भी वही विद्वान न्यायाधीश कर रहा था, जिसने उस बेंच की अध्यक्षता की थी, जिसने **सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट (सुप्रा.)** का निर्णय किया था, ने स्पष्ट रूप से पिछले दरवाजे से प्रवेश के मामले में यह माना है, यानी। केंद्रीय काउंसिलिंग प्रणाली को दरकिनार करके मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने पर न्यायालय छात्रों को न्यायसंगत विचारों पर अपना पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

25. इस संबंध में उन्होंने हमारा ध्यान, समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 1835-1836/2020 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया है। जो आई.ए. क्रमांक 183249/2019 विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 31037-31038/2016, अब्दुल अहद और अन्य में बनाम भारत संघ और अन्य मामलों के साथ, 17.08.2021 को निर्णय दिया गया। श्री सिंहदेव का कहना है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए गए इस मामले के तथ्य, अपीलार्थी के लिए इससे पहले काफी बेहतर थे, क्योंकि, छात्रों को-अंतरिम आदेशों के तहत, पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जो कि इस मामले में नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंशों पर भरोसा जताया है, जो अनियमित रूप से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों/उम्मीदवारों को न्यायसंगत/सहानुभूतिपूर्ण राहत देने के पहलू पर उच्चतम न्यायालय के कई पहले के फैसलों पर विचार करने से पहले किया गया था। जिन निर्णयों पर विचार किया गया वे थे: **गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम परमिंदर कु. बंसल, (1993) 4 एससीसी 401**; **गुरदीप सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर सरकार, 1995 सप्लिमेंट** (1) **एससीसी 188; के.एस. भोईर बनाम महाराष्ट्र सरकार, (2001) 10 एससीसी 264; महात्मा गांधी विश्वविद्यालय बनाम जीआईएस जोस, (2008) 17 एससीसी 611; और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बनाम वीनस पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी, (2013) 1 एससीसी 223।** उपरोक्त निर्णयों

पर चर्चा के बाद उच्चतम न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला, वह इस प्रकार है:-

> "35. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निर्धारित इस विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में, समीक्षा अपीलार्थियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना संभव नहीं होगा। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि प्रवेश केवल केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना था। ग्लोकल मेडिकल कॉलेज ने उक्त अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए निजी काउंसलिंग आयोजित की, जो कानून बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बारे में अनभिज्ञ नहीं कहा जा सकता है।
>
> 36. ऐसे में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने वाले ऐसे छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। इसके अलावा, एमसीआई ने दिनांक 27.1.2017 के आदेश के तहत उक्त छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया था, जिन्हें केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश नहीं दिया गया था। यह ध्यान रखना उचित है कि एक ही कॉलेज में दाखिला लेने वाले 25 छात्र, जिन्हें केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया गया था, डीजीएमई द्वारा अन्य कॉलेजों में बहुत अधिक आमेलित कर लिए गया था। ऐसे में, समीक्षा अपीलार्थियों का यह तर्क कि उन्हें एमसीआई द्वारा जारी 27.1.2017 के डिस्चार्ज आदेश के बारे में तभी पता चला जब उन्होंने 2019 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, यह तर्कसंगत नहीं है।
>
> 37. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.3.2017 को पारित अंतरिम आदेश का संबंध है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि हालांकि छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनके परिणाम प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश को संशोधित करने वाला कोई अन्य आदेश नहीं है।
>
> 38. यह समझना मुश्किल है कि प्रथम वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा के लिए छात्रों के परिणाम कैसे घोषित किए गए, उन्हें दूसरे वर्ष के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कैसे प्रवेश दिया गया और उन्होंने दूसरे वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की, इस तथ्य के बावजूद कि एमसीआई दिनांक 27.1.2017 के आदेश द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया था।
>
> 39. जहां तक डिस्चार्ज आदेश को चुनौती देने वाली ग्लोकल मेडिकल कॉलेज द्वारा दायर रिट याचिका में दिनांक 18.9.2017 के आदेश में इस न्यायालय की टिप्पणियों का

संबंध है। इस अवलोकन को इस न्यायालय द्वारा 20.3.2017 को जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों को रद्द करने या संशोधित करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

40. परिणामस्वरूप, समीक्षा याचिकाएं निराधार हैं और इसलिए खारिज कर दी गईं। नतीजतन, हस्तक्षेप/पक्षकार बनाने के लिए आवेदन सहित सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।"

26 .....

27 .....

28 .....

29 .....

30 .....

31 .....

32 .....

33 .....

34 .....

35 .....

36. मामले की किसी भी स्थिति में, अपीलार्थियों को दिए गए प्रवेश, मध्य प्रदेश सरकार के डीएमई द्वारा आयोजित केंद्रीकृत काउंसलिंग के बाहर थे। यदि रिक्तियों की स्थिति प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज द्वारा 07.10.2016 को या उससे पहले डीएमई को सूचित की गई थी, तो डीएमई ने काउंसलिंग के बाद उम्मीदवारों के नाम भेज सकता था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसने बहुत पहले यानी 04.09.2016 और 28.09.2016 के बीच पांच अपीलार्थियों को प्रवेश दे दिया। जाहिर है, ये प्रवेश अपीलार्थियों को मिलीभगत से दिए गए थे। वे **मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (सुप्रा.)** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दायर में आते हैं। प्रासंगिक रूप से, उच्चतम न्यायालय द्वारा **जयनारायण चौकसे (सुप्रा.)** में दिनांक 22.09.2016 को आदेश पारित करने के बाद भी, प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज 24.09.2016 और 28.09.2016 के बीच अपीलार्थियों नंबर 1, 2, 3 और 5 को प्रवेश देने के लिए बेशर्मी से आगे बढ़ गया है। अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज का आचरण, वास्तव में, न केवल **मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर** (सुप्रा.) के निर्णय की घोर अवमानना है, बल्कि **जयनारायण चौकसे (सुप्रा.)** के 22.09.2016 के आदेश की भी घोर अवमानना है।

37. श्री गुप्ता ने अपीलार्थियों के मामले में यह तर्क देते हुए अंतर पैदा करने की मांग की कि वे एनईईटी परीक्षा में उन लोगों से भी ऊंचे स्थान पर हैं जिन्हें प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज के संबंध में डीएमई द्वारा

आयोजित केंद्रीय परामर्श के माध्यम से प्रवेश दिया गया था, और इसलिए, उन्हें सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट (सुप्रा.) के मामले में उदारता दिखाई जानी चाहिए, और अब्दुल अहद (सुप्रा.) के निर्णय को उनके मामले में लागू नहीं किया जाना चाहिए, इसका भी कोई औचित्य नहीं है। इसका कारण यह है कि, यदि प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज ने समय पर डीएमई को रिक्ति की स्थिति की सूचना दी होती, तो डीएमई ने आगे की काउंसलिंग आयोजित की होती और 2016 में आयोजित एनईईटी परीक्षा के आधार पर योग्यता के आधार पर नाम भेजे होते। यह काफी संभव है कि पांचों अपीलार्थियों से अधिक मेधावी अन्य उम्मीदवारों के नाम भेजे जाते। चूंकि प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज ने डीएमई को रिक्ति की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया है, और वे 07.10.2016 को प्रवेश की तारीख समाप्त होने से बहुत पहले पांच अपीलार्थियों को प्रवेश देने के लिए आगे बढ़े, अन्य मेधावी छात्र, जाहिर तौर पर रह गए। इस बात से अनजान कि वे अपनी योग्यता के आधार पर प्रत्यर्थी मेडिकल कॉलेज में एक सीट के विरूद्ध दावा कर सकते हैं। इस प्रकार, यह कहना कि कोई अन्य मेधावी उम्मीदवार सामने नहीं आया, न तो यहां है और न ही वहां है।

38. अब समय आ गया है कि मेडिकल कॉलेजों सहित शैक्षणिक संस्थानों में पिछले दरवाजे से ऐसे प्रवेश बंद होने चाहिए। पूरे देश में लाखों छात्र अपनी योग्यता के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति देना उन लोगों के साथ घोर अन्याय होगा, जिन्हें अधिक मेधावी होने के बावजूद प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे पिछले दरवाजे से प्रवेश करने वालों ने सीटें ले ली हैं और ब्लॉक कर दी हैं। अपीलार्थी जिस गड़बड़ी में फंसे हैं उसके लिए वे खुद ही दोषी हैं। अगर उन्होंने 26.04.2017 के डिस्चार्ज-पत्र के अनुसार कार्रवाई की होती, तो उन्होंने अपने जीवन के चार साल बचा लिए होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और लापरवाही से काम किया। अपनी रिट याचिका में उनके पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं होने के बावजूद, उन्होंने पाठ्यक्रम में भाग लेना जारी रखा-जाहिर है, अपने जोखिम पर।'

27. **दीपांशु भदोरिया (सुप्रा.**) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को **राहुल सोनी और अन्य(सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उसी को बरकरार रखा गया।

28. अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय, विशेष रूप से **सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट (सुप्रा.)** के मामले में अपीलार्थियों को कोई लाभ नहीं मिलता है क्योंकि उक्त निर्णय उस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि इस निर्णय को

मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।

29. इस स्तर पर, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि **ऋषभ चौधरी बनाम भारत संघ एवं अन्य (2017) 3 एससीसी 652** में प्रकाशित में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक समान मुद्दा उठा है। जहां विचार के लिए प्रश्न प्रत्यर्थी सी.एम. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अपीलार्थी को दिए गए प्रवेश की वैधता थी। एक दलील दी गई थी कि चूंकि अपीलार्थी को पहले ही कॉलेज द्वारा सीजीमैट-2016 परीक्षा आयोजित करने और सरकार सरकार द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी करने के बाद प्रवेश दिया गया था और जिसमें अनुचितता का कोई आरोप नहीं था, इसलिए उसके प्रवेश में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी निश्चित रूप से गलती पर नहीं था और उसे कॉलेज और सरकार सरकार द्वारा की गई स्पष्ट गलती का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। उक्त मामले में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के विपरीत कॉलेज द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, 1997 के नियमों में संशोधन किया गया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल नीट में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अपीलार्थी और उसका समर्थन करने वाले कॉलेज की ओर से दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद, उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया::–

> **"15. इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह नहीं है कि वर्तमान स्थिति के लिए किसे दोषी ठहराया जाए-चाहे वह छात्र हों या कॉलेज या छत्तीसगढ़ सरकार। असल में सवाल यह है कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए या नहीं। हमारी राय में, उत्तर स्पष्ट रूप से सकारात्मक है। कॉलेज और छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी परिस्थितियों का शिकार बन गया, जिससे उसे उनके कुप्रबंधन का शिकार होने के कारण कॉलेज छत्तीसगढ़ सरकार के विरूद्ध कार्रवाई करने का कारण मिल गया और अपीलार्थी की दुर्दशा दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकती।"**
>
> (बल दिया गया)

30. उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि सवाल परीक्षा आयोजित करने में किसी अनौचित्य का नहीं है बल्कि सवाल वास्तव में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित एक विशेष अनुशासन का पालन करने का है जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी की दुर्दशा दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकती।

31. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम परमिंदर कुमार बंसल (1993) 4 एससीसी 401 में प्रकाशित, **शैक्षणिक मामलों में उम्मीदवारों की योग्यता की उपेक्षा करके प्रवेश से संबंधित** है, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा:–

> **"7.....हमें डर है कि पारस्परिक उपचारों का इस प्रकार का प्रशासन, जो सहानुभूति द्वारा अधिक निर्देशित होता है, अक्सर पूरी तरह से गलत होता है, किसी की कोई सेवा नहीं करता है। अकादमिक मामलों में हमारे सामने आने वाले आदेशों से, हम पाते हैं कि, गलत धारणा वाली सहानुभूति, पारस्परिक न्याय के रूप में सामने आती है और न्यायिक विवेक को निजी परोपकार में समाप्त होने की आलोचना के सामने उजागर करती है। यह अकादमिक अनुशासन, या जो कुछ भी बचा है, उसे नष्ट करने वाला है, जिससे अकादमिक जीवन में गंभीर गतिरोध पैदा हो गया है। अभ्यर्थियों की पात्रता को ध्यान में रखे बिना प्रवेश का आदेश नहीं दिया जा सकता। जब अंतरिम आदेश से ही गंभीर जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं तो निर्णयों को स्थगित नहीं किया जा सकता है या बाद में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया विधिक स्थिति के सटीक मूल्यांकन के बजाय उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित था। ऐसे आदेश को कायम नहीं रहने दिया जा सकता. न्यायालयों को अपने कार्यों को स्वयं अपने हाथ में लेकर अकादमिक प्राधिकारियों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए।"**
>
> (बल दिया गया)

32. सीबीएसई बनाम पी. सुनील कुमार की रिपोर्ट (1998) 5 एससीसी 377 में प्रकाशित, जिस संस्थान के छात्रों को सीबीएसई की परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी, वे परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं थे। हालाँकि, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के तहत परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। उस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:–

> "4.....लेकिन एक असंबद्ध संस्थान के छात्रों को न्यायालय के आदेश के तहत बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देना और फिर बोर्ड को उन लोगों के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मजबूर करना जिन्होंने परीक्षा दी है, कानून को तोड़ने के समान होगा और छात्रों के पक्ष में अनुचित सहानुभूति पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों को बरकरार रखना इस न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा...।"

33. यहां ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, हम पाते हैं कि अपीलार्थियों ने केंद्रीकृत

काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था और वे पहले दिन से ही अच्छी तरह से जानते थे कि प्रत्यर्थी-कॉलेज में उनका प्रवेश अनियमित और अवैध था। जो **मॉडर्न डेंटल मेडिकल कॉलेज (सुप्रा.)** और **जयनारायण चौकसे (सुप्रा.)** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दायरे में था। **अब्दुल अहद (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर अपीलार्थी कोई भी न्यायसंगत राहत पाने के पात्र नहीं हैं।

34. इन परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि अपीलार्थियों को राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं है और इन्हें तदनुसार खारिज किया जाता है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी विद्वान एकलपीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में कानून के अनुसार 10,00,000/- रुपये (प्रत्येक) के मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी-कॉलेज के विरूद्ध आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. निर्णय से विलग होने से पहले, हम यह देखना चाहेंगे कि अब समय आ गया है जब शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की पिछले दरवाजे से प्रवेश को रोका जाना चाहिए और हतोत्साहित किया जाना चाहिए। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति देना नियमों और विनियमों का उल्लंघन होगा। प्रत्यर्थी-कॉलेज इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत था कि अपीलार्थियों को नियमों के विपरीत प्रवेश नहीं दिया जा सकता है, फिर भी, कॉलेज ने अपीलार्थियों को डेंटल मेडिकल काउंसिल द्वारा अपीलार्थियों को डिस्चार्ज करने के निर्देशों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी। शैक्षणिक वर्ष-2017 में अपीलार्थियों को प्रवेश देते समय प्रत्यर्थी-कॉलेज द्वारा नियमों के इस तरह के साशय और जानबूझकर उल्लंघन को माफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उपरोक्त अनधिकृत कृत्य के लिए, प्रत्यर्थी-कॉलेज आज से तीन महीने की अवधि के भीतर राजस्थान सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए) में 25,00,000/- रुपये लागत का भुगतान करने और जमा करने के लिए उत्तरदायी है। आरएसएलएसए कानून के अनुसार प्रत्यर्थी-कॉलेज से इसकी वसूली करेगा।

36. प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय और कॉलेज ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थियों को एमडीएस पाठ्यक्रम की डिग्रियां वितरित की हैं और अपीलार्थियों ने दिनांक 24.06.2020 के आदेश के बारे में अच्छी तरह से अवगत होने के बावजूद, डिग्रियां प्राप्त की हैं और विश्वविद्यालय में उन्हें जमा नहीं किया है। अपीलार्थियों

को आज से एक महीने के भीतर विश्वविद्यालय में डिग्री जमा करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय अपीलार्थियों के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा।

37. सभी लंबित आवेदन (यदि कोई हों) का निपटारा किया जाता है।

38. रजिस्ट्री को इस निर्णय की एक प्रति संबंधित केस फाइल में रखने का निर्देश दिया गया है।

39. रजिस्ट्री को आवश्यक अनुपालन के लिए इस निर्णय की एक प्रति आरएसएलएसए को भेजने का निर्देश दिया गया है।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति (पंकज मिथल), मुख्य न्यायाधीश

PRAVESH/6-7

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।